

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (46) वन/2021

जयपुर, दिनांक: 25 JUN 2021

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।


विषय:- Diversion of 0.4707 ha. of forest land in favour of Bharat Broadband Network Limited for Laying of Optical Fibre Cable along the Phalodi - Pokhran road (NH-11) from Phalodi BSNL Telephone Exchange to Beethadi Gram Panchayat under NOFN Project (Chainage - 0.00 to 14.040 Km.), Tehsil - Phal District- Jodhpur. (FP/RJ/OFC/47432/2020)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14(OFC)2020/एफसीए/प्रमुखस/1352 दिनांक 26.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण के अन्तर्गत रक्षित/अवर्गीकृत वन भूमि पर आने वाले कुल 60 पेड़ों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा ओ.एफ.सी. लाईन डालने में किसी भी तरह के पेड़ों एवं वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा हेतु अंडरटैकिंग प्रस्तुत किया गया है।

अतः स्पष्ट करावे कि क्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ओ.एफ.सी. लाईन डालने में 60 पेड़ों का पातन किया जाना प्रस्तावित है या नहीं है ?

भवदीय,

(शुभम जैन)
विशेषाधिकारी dc